यह निरीक्षण प्रतिवेदन **प्रभागीय वनाधिकारी, हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी भी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **प्रभागीय वनाधिकारी, हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी** के माह 04/2017 से माह 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो सुश्री सरूनी शर्मा व.ले.प. एवं श्री कलवन्त सिंह, एवं श्री डी.के.श्रीवास्तव, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 30.01.2019 से 07.02.2019 तक श्री नवीन चन्द्र शंखधर, लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में संपादित किया गया था।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री अशोक कुमार मीना, ले.प. एवं श्री ए.के.गुप्ता, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 28.07.2017 से 09.08.2017 तक श्री पी.के.गुप्ता, लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में संपादित की गयी थी। जिसमें राजस्व हेतु माह 04/2016 से 03/2017 तक एवं व्यय हेतु माह 04/2016 से 03/2017 के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में राजस्व हेतु माह 04/2017 से 03/2018 तक एवं व्यय हेतु माह 04/2017 से 03/2018 के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः वन उपज एवं सम्पदा के सुरक्षा का कार्य पाँचों राजियो के अन्तर्गत किया जाता है।

3. (ii) (अ) **राजस्व का विवरणः** विगत तीन वर्षो में कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत है :

वर्ष	अर्जित राजस्व (रू लाख में)
2015-16	2965.87
2016-17	5070.36
2017-18	911.21

(ii) (ब) बजट का विवरण

विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः (₹ लाख में)

वर्ष	**प्रारम्भिक अवशेष (` लाख में)**		**स्थपना**		**गैर स्थापना (` लाख में)**		**आधिक्य (+)**	**बचत (-)**
	स्थापना	**गैर स्थापना**	**आवंटन**	**व्यय**	**आवंटन**	**व्यय**		
2015-16	-	-	851.14	851.14	68.07	68.07	-	-
2016-17	-	-	836.47	836.47	175.63	159.60	16.03	-
2017-18	-	-	895.54	895.54	135.98	126.81	9.17	-

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः (₹ लाख में)

वर्ष	**योजना का नाम**	**प्रा0 अ0**	**प्राप्त**	**व्यय**	**बचत(-)/ आधिक्य (+)**
2017-18	इन्टेसिफिकेशन आफ फारेस्ट मैनेजमेन्ट	-	61.87	61.87	-

इकाई को बजट आवंटन मुख्यालय द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई A श्रेणी की है।

(iii) विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

सचिव- प्रमुख वन संरक्षक- मुख्य वन संरक्षक- वन संरक्षक- उप वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में **प्रभागीय वनाधिकारी, हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **प्रभागीय वनाधिकारी, हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(Vi) विस्तृत जांच हेतु माह का चयन :-

माह 03/2018 को विस्तृत जांच हेतु (राजस्व) चयनित किया गया।

माह 03/2018 को विस्तृत जांच (व्यय) हेतु चयनित किया गया।

योजना का चयन: 1. बहुउद्देशीय वृक्षारोपण एवं वनों का संरक्षण 2. मानव वन्य जीव संघर्ष राहत निधि 3. इंटेन्सिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेन्ट

(Vii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 एवं लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग 2 "अ"

प्रस्तर-01 :लाभांश की राशि ₹ 71.23 लाख कम जमा कराये जाने से राजस्व क्षति।

उत्तराखण्ड शासन, वन एवं पर्यावरण अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या 2190/X-2-2017-21(13)/2011 दिनाँक 06.10.2017 द्वारा प्रख्यापित " उत्तराखण्ड इमारती लकड़ी और अन्य वन उपज का अभिवहन (संशोधन) नियमावली, 2017" के नियम 5(छ) के अनुसार वन क्षेत्र से एकत्र नदी तल सामाग्री हेतु अभिवहन शुल्क ₹ **15.00** प्रति टन से बढ़ाकर ₹ 50.00 प्रति टन कर दिया गया।

उक्त के अतिरिक्त आरक्षित वन क्षेत्र की नदियों से चुगान/खनन करने पर रिवर ट्रेनिंग ₹ 1.05 प्रति कुंतल। क्षतिपूर्ति ₹ 1.05 प्रति कुंतल तथा लाभांश ₹ 0.70 प्रति कुंतल जमा किया जाना था।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, हल्द्वानी वन प्रभाग के खनन संबंधी अभिलेखों की जाँच में निम्न तथ्य संज्ञान में आये:

जनपद चम्पावत में शारदा नदी के 384.69 हेक्ट॰ वन क्षेत्र में खनन सत्र 2016-17 एवं 2017-18 में कुल 909838.2223 घन मीटर उप-खनिज की निकासी वन विकास निगम द्वारा की गयी थी। उत्पादित मात्रा 909838.2223 घन मीटर अथवा 20016440.89 कुंतल उप-खनिज की निकासी पर लाभांश दर ₹ 0.70 प्रति कुंतल की दर से ₹ 14011508.00 की राशि जमा कराई जानी थी जबकि वन विकास निगम द्वारा मात्र ₹ 6888400/- की राशि ही लाभांश के रूप में जमा की गयी थी। इस प्रकार ₹ 7123108/- की राशि कम जमा की गयी थी।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगित किये जाने पर प्रभाग द्वारा अपने उत्तर में कहा गया कि इस संबंध में उत्तराखंड वन विकास निगम से पत्राचार कर कृत कार्यवाही से अवगत कराया जायेगा।

अतः वन विकास निगम द्वारा ₹ 7123108/- कम जमा कराये जाने से राजस्व क्षति का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 "अ"

प्रस्तर- 2 : एनपीवी की राशि ₹ 18.40 लाख कम लिये जाने से राजस्व क्षति ।

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत गैर-वानिकी प्रयोजन के लिये वन-भूमि के प्रत्यावर्तन हेतु एनपीवी लेने के सम्बंध में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या F-3/2007-FC दिनाँक 05.02.2009 द्वारा विभिन्न इको क्लास एवं विभिन्न सघनता वाले वनों हेतु एनपीवी की दरों का निर्धारण किया गया है। उपरोक्त पत्र के अनुसार "the use of forest land falling in National Parks/Wildlife Sanctuaries will be permissible only in totally unavoidable circumstances for public interest projects and after obtaining permission from the Hon'ble Court. Such permission may be considered on payment of an amount equal to ten times in the case of National Parks and five times in the case of Sanctuaries respectively of the NPV payable for such areas".

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, हल्द्वानी वन प्रभाग के भूमि प्रत्यावर्तन से संबन्धित अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र लालकुआँ के अन्तर्गत हल्द्वानी विकास खण्ड में चोरगलिया स्थित नहर प्रणाली हेतु नन्धौर नदी पर ट्रेंच बियर व तत्संबंधित कार्यों के निर्माण हेतु 0.735 हेक्ट॰ वन भूमि का सिंचाई विभाग को प्रत्यावर्तन संबंधी पत्रावली की जाँच में पाया गया कि प्रत्यावर्तित वन-भूमि आरक्षित वन क्षेत्र के अन्तर्गत है एवं प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित क्षेत्र "नन्धौर वन्य जीव अभ्यारण" के अन्तर्गत आता है। इसके अतिरिक्त प्रस्तावित क्षेत्र एको क्लास-III एवं हरियाली घनत्व 0.10 है जिस हेतु एनपीवी की दर ₹ 626000/- प्रति हेक्ट॰ निर्धारित है।

आगे जाँच में पाया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर मध्य क्षेत्र), देहरादून के पत्र संख्या 08बी/यूसीपी/02/81/2018/एफसी/1047 दिनाँक 27.08.2017 द्वारा उक्त वन भूमि के प्रत्यावर्तन की सैद्धांतिक स्वीकृति भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफसी दिनाँक 05.02.2009 के तहत दिये गए आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एनपीवी) की निर्धारित राशि जमा होने की शर्त पर दी गयी। परियोजना की विधिवत स्वीकृति भारत सरकार के पत्र संख्या 08बी/यूसीपी/02/81/2018/एफसी/2138 दिनाँक 16.01.2019 द्वारा प्रदान की गयी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा एनपीवी की धनराशि ₹ 460110/- का ही भुगतान वन प्रभाग को किया गया था जबकि नियमानुसार एनपीवी की धनराशि ₹ 23,00,550/- (0.735 हेक्ट॰*626000*5गुणा) जमा की जानी थी। इसके अतिरिक्त वन-भूमि प्रत्यावर्तन हेतु नियमानुसार Hon'ble Court से भी अनुमति नहीं ली गयी थी।

इस प्रकार प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा ₹ 18,40,440/- की राशि एनपीवी के रूप में कम जमा की थी।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगित किये जाने पर प्रभाग द्वारा अपने उत्तर में कहा गया कि अवशेष धनराशि ₹ 18,40,440/- जमा करने हेतु प्रयोक्ता एजेंसी से कार्यवाही की जायेगी।

अतः धनराशि **₹** 18,40,440/- की राजस्व हानि का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

व्यय

भाग 2 "अ"

प्रस्तर-3 : लेंटाना घास उन्मूलन पर ₹ 34.96 लाख का निरर्थक व्यय ।

किसी भी लेंटाना प्रभावित क्षेत्र से लेंटाना के पूर्ण उन्मूलन के लिये उस क्षेत्र का लगातार तीन वर्षों तक निगरानी एवं उपचार के अधीन रहना आवश्यक है क्योंकि प्रथम वर्ष लेंटाना उन्मूलन के पश्चात भूमि में उपलब्ध लेंटाना के बीज प्रकाश एवं नमी के संपर्क में रहकर पुनः पौध के रूप में विकसित हो जाते हैं जिनके उन्मूलन के पश्चात ही लेंटाना प्रभावित क्षेत्र का उपचार पूर्ण होता है। इसी कारण विभाग द्वारा लेंटाना प्रभावित क्षेत्र के पूर्ण उपचार हेतु लगातार तीन वर्षों तक कार्य कराया जाना चाहिये ।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, हल्द्वानी वन प्रभाग के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2017-18 के मध्य प्रभाग द्वारा लेंटाना घास उन्मूलन हेतु **₹ 34.96** लाख व्यय किया गया था। परन्तु, जाँच में पाया गया कि प्रत्येक वर्ष रेंजों के अन्तर्गत एक ही क्षेत्र में लगातार तीन वर्षों तक उन्मूलन कार्य न कर प्रत्येक वर्ष पृथक-पृथक क्षेत्रों/बीटों में कार्य किया गया जिससे लेंटाना के उन्मूलन पर किया गया व्यय **₹ 34.96** लाख अलाभकारी रहा ।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगित किए जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि लेंटाना उन्मूलन के अनुरक्षण मद में कोई बजट प्राप्त न होने से उसी बीट या क्षेत्र में व्यय नहीं किया जा सका। भविष्य में व्यय करते समय नियम का ध्यान रखा जायेगा।

अतः विभाग द्वारा बजट उपलब्ध न कराये जाने के कारण व विभिन्न क्षेत्रों मे कार्य किये जाने से लेंटाना घास उन्मूलन पर किया गया व्यय **₹ 34.96** लाख अलाभकारी रहा।

प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

राजस्व लेखापरीक्षा

भाग 2 "ब"

प्रस्तर- 1 : निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष राजस्व की कम वसूली एवं तथा निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष कम खनन किये जाने से राजस्व क्षति ₹ 5069.82 लाख।

1. कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी के राजस्व सम्बन्धी अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि विगत दो वर्षों में शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष विभाग द्वारा प्राप्त राजस्व निम्नवत था:

वित्तीय वर्ष	लक्ष्य (₹ लाख में)	प्राप्ति ₹ लाख में)	प्ति (₹ लाख में)
2016-17	5441.89	5070.36	371.53
2017-18	5181.19	911.21	4269.89
योग			**4641.51**

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि विगत दो वर्षो में ₹ **4641.51** लाख राजस्व की कम प्राप्ति हुई। इसके अतिरिक्त वर्ष 2017-18 में लक्ष्य कम होने के उपरान्त भी वर्ष 2016-17 की अपेक्षा ₹ **4159.15** लाख राजस्व कम प्राप्त हुआ।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा अपने उत्तर में कहा गया कि कार्य योजना स्वीकृत न होने के कारण छपान एवं पातन कार्य नहीं हो सका जिस कारण लक्ष्य के सापेक्ष राजस्व की प्राप्ति नहीं हो पायी।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि वर्ष National Working Plan Code 2014 के अनुसार कार्ययोजना समाप्त होने के दो वर्ष पूर्व आगामी कार्ययोजना हेतु कार्यप्रारम्भ हो जाना चाहिये जिससे कि समय से कार्ययोजना तैयार हो लागू हो सके एवं इकाई के कार्य बाधित न हों एवं कार्ययोजना वर्ष 2015-16 में समाप्त होने के उपरान्त वर्ष 2016-17 में राजस्व ₹5070.36 लाख प्राप्त किया गया था।

2. उत्तराखण्ड शासन, वन एवं पर्यावरण अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या 2190/X-2-2017-21(13)/2011 दिनाँक 06.10.2017 द्वारा प्रख्यापित " उत्तराखण्ड इमारती लकड़ी और अन्य वन उपज का अभिवहन (संशोधन) नियमावली, 2017" के नियम 5(छ) के अनुसार वन क्षेत्र से एकत्र नदी तल सामाग्री हेतु अभिवहन शुल्क ₹ **15.00** प्रति टन से बढ़ाकर ₹ 50.00 प्रति टन कर दिया गया।

खनन सत्र 2016-17 एवं 2017-18 में लक्ष्य के सापेक्ष कम उप-खनिज की निकासी के परिणामस्वरूप प्रभाग निम्न प्रकार वांछित राजस्व प्राप्ति से वंचित रहा:

लक्ष्य (घन मी.)	उत्पादन (घन मी.)	कम उत्पादन (घन मी.)	कम उत्पादन (टन) (घन मी.*2*2*10)	अभीवहन शुल्क (15 व 50/टन)	रिवर ट्रेनिंग (1.05/कुंतल)	क्षतिपूर्ति (1.05/कुंतल)	लाभांश (0.70/कुंतल)
681763.82	341286.2923	340477.5277	749050.56	11235758	7865030	7865030	5243353
630452.20	568551.93	61900.27	136180.59	6809029	1429896	1429896	953264
1312216.02	909838.2223	402377.7977	885231.154	18044787	9294926	9294926	6196617
महायोग				42831256.00			

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि वन विकास निगम द्वारा निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष कम निकासी/खनन किये जाने से प्रभाग ₹ 42831256/- की राजस्व प्राप्ति से वंचित रहा।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगित किये जाने पर प्रभाग द्वारा अपने उत्तर में कहा गया कि इस संबंध में उत्तराखंड वन विकास निगम से पत्राचार कर कृत कार्यवाही से अवगत कराया जायेगा।

अतः प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>व्यय से संबन्धित</u>

<u>भाग 2 "ब"</u>

<u>प्रस्तर- 2:</u> **लम्बित भुगतान ₹ 34.88 लाख ।**

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 2228/X-2/2012-19(37)/2003, देहरादून दिनाँक 10.12.2012 द्वारा वन्य जीवों द्वरा जान-माल को क्षति पहुंचाये जाने पर क्षतिपूर्ति के रूप में आर्थिक सहायता उपलब्ध कराये जाने के दृष्टिगत अनुग्रह राशि प्रदान किये जाने एवं त्वरित भुगतान सुनिश्चित किये जाने के निमित्त "मानव वन्य जीव संघर्ष एवं राहत वितरण निधि नियमावली, 2012" प्रख्यापित की गयी। नियमावली के नियम 5(2) के अनुसार किसी भी दशा में वन प्रभागों के शीर्षक खाते में **₹ 20.00** लाख की सीमा को अनुरक्षित किया जायेगा। अधिसूचना के बिन्दु 9(1)(एक) के अनुसार वन्य जीवों द्वारा मारे जाने पर पीड़ित व्यक्ति/संबन्धित आश्रित को घटना की पुष्टि कर दिये जाने के पश्चात घटना विशेष में आंकलित कुल देय धनराशि का 30% धनराशि अग्रिम रूप में पीड़ित व्यक्ति/आश्रित को जनमानस की क्षति की घटना की सूचना प्राप्त होने से सार्वजनिक अवकाश दिवसों को छोड़ते हुये अधिकतम 48 घण्टे के अन्त उपलब्ध कराई जायेगी। अवशेष धनराशि जाँच रिपोर्ट प्राप्त होने पर देय होगी।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी के लेखाभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा में मानव वन्य जीव संघर्ष एवं राहत वितरण निधि एवं संबन्धित अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि वर्ष 2017-18 में शीर्षक खाते में किसी भी समय **₹ 20.00** लाख की सीमा को अनुरक्षित नहीं किया गया था। वर्ष के अन्त तक प्रभाग मे मानव क्षति (मृत्यु) के 05 प्रकरण एवं पशु क्षति के 139 प्रकरण लंबित थे जिनके सापेक्ष क्रमश: **₹ 15.00** लाख व **₹ 19.88** लाख (कुल 34.88 लाख) भुगतान नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त मानव क्षति के प्रकरणो में पीड़ित व्यक्तियों के आश्रितों को नियमानुसार 30 प्रतिशत राशि का अग्रिम भुगतान नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगित किए जाने पर प्रभाग द्वारा अपने उत्तर में कहा गया कि मुख्यालय से माँग किए जाने के पश्चात भी धनराशि उपलब्ध न कराये जाने के कारण धनराशि वितरित नहीं की जा सकी और न ही निर्धारित धनराशि अनुरक्षित की जा सकी।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि किसी भी दशा में वन प्रभागों के शीर्षक खाते में **₹ 20.00** लाख की सीमा को अनुरक्षित किया जाना था एवं मानव क्षति के प्रकरण में पीड़ित व्यक्ति के आश्रित को नियमानुसार 30 प्रतिशत राशि अग्रिम भुगतान किया जाना था जो कि नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त फसल क्षति व मकान क्षति के प्रपत्रों में भी आंकड़े स्पष्ट नहीं थे जिसके लिए प्रभाग द्वारा MPR को संशोधित कर उपलब्ध कराने की बात कही गई है। अतः उक्त संशोधित MPR के साथ माह 02/2019 की MPR भी लेखापरीक्षा को उपलब्ध करायें।

अतः मानव वन्य जीव संघर्ष एवं राहत वितरण निधि मे नियमानुसार बजट उपलब्ध न कराये जाने व **₹ 34.88** लाख के लम्बित भुगतान का प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग-III</u>

<u>राजस्व से संबंधित</u> विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN
13/2009-10	01	01,02,03	
124/2012-13	-	01	
11/2016-17	-	01,02	
50/2017-18	-	01,02,04,05	

व्यय से संबंधित: विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN

<u>भाग-IV</u>

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1)राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा निस्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य

(2)व्यय से संबंधित इकाई द्वारा निस्पादित अच्छे कार्य - टिप्पणी शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **प्रभागीय वनाधिकारी, हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः
शून्य

2.**सतत् अनियमितताएः शून्य**

3.**लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम
1	श्री एन.एन.पाण्डेय	प्रभागीय वनाधिकारी

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **प्रभागीय वनाधिकारी, हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार (राजस्व), कार्यालय महालेखाकर (लेखापरीक्षा)-उत्तराखंड, देहारादून को प्रेषित कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
राजस्व क्षेत्र